**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)**
**मंत्रालय**
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**

**Email ID:- usecy-gad13.cg@gov.in**

**--00--**

क्रमांक RULE-5/79/2025-GAD-13 नवा रायपुर, दि. 15-10-2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

**विषयः-** छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वितीय अपील प्रकरण में दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के संबंध में।

--00--

विषयांतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(3) का निम्न अंश अवलोकनीय हैः-

"यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय यही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;
(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;
(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;
(ड.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना; और

अधिनियम की धारा 18(4) के अनुसार यथास्थिति, संसद या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा किसी अभिलेख को किन्ही भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।"

2/ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रकरण में **मुख्य राज्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त** के समक्ष सुनवाई के दौरान अधिकांश जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अथवा उनकी ओर से उपस्थित प्रतिनिधि पूर्ण दस्तावेज के साथ आयोग में/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से प्रकरण के निराकरण में विलम्ब होता है एवं आयोग द्वारा एक अन्य तिथि निर्धारित करनी पड़ती है।

**अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कृपया छ0ग0 राज्य सूचना आयोग में मुख्य राज्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण में सुनवाई के दौरान आपके अधीनस्थ समस्त पदनामित जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आवेदकों द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से आयोग में अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।**

Digitally signed by SHAILABH KUMAR SAHU
Date: 15-10-2025 13:16:37

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

पृ. क्रमांक RULE-5/79/2025-GAD-13 नवा रायपुर, दि. 15-10-2025

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
4. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
6. सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
8. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।
9. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Digitally signed by ANJU SINGH
Date: 15-10-2025 14:01:24

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,